राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या –1797/2015/आबकारी/झुन्झुनूं

श्री हरि सिंह पुत्र हनुमान राम
तहसील–नवलगढ,झुन्झनूँ — अपीलार्थी

बनाम

1.प्रमुख शासन सचिव,वित्त विभाग, जयपुर
2.राजस्थान सरकार जरिए आयुक्त,आबकारी,उदयपुर
3.जिला आबकारी अधिकारी,झुन्झुनूँ — प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री खेमराज,अध्यक्ष
श्री सुनील शर्मा,सदस्य.

उपस्थितः
श्री हरि सिंह
स्वयं — अपीलार्थी की ओर से
श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक — प्रत्यर्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक 11.08.2016

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 9–ए(क) के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर द्वारा पारित आदेश क्रमांक प.29(बी)/अपील/2/आब/2014/316 दिनांक 03.02.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनाक 30.11.2013 को आबकारी निरीक्षक वृत नवलगढ द्वारा विधान सभा चुनाव 2013 में राज्य सरकार द्वारा घोषित शुष्क दिवस की पालना में दौरान गश्त मुखबिर से मिली गुप्त सूचना के आधार पर रात्रि में केरू गांव से लाख की ढाणी जाने वाले मोड पर अनुज्ञाधारी हरिसिंह के कब्जे से मोटरसाईकिल रूकवाकर तलाशी लेने पर पीछे बंधे एक प्लास्टिक के कट्टे में 44 पव्वे ढोला मारू देशी मदिरा, 7 पव्वे देशी मदिरा, 4 पव्वे बैंगपाईपर व्हिस्की, 2 पव्वे ए.सी.सेक व्हिस्की, 2 पव्वे मैक्डोवल, 1 रम, 2 ऐरिस्टोकेट जिन, 1 बोतल आफीसर च्वाईश व 12 पव्वे ऑफीसर च्वाईश परिवहन करते हुए पकडा गया। उक्त तथ्यों के आधार पर अधिनियम की धारा 19/54 के अन्तर्गत अभियोग संख्या 35/13–14 दिनांक 30.11.2013 को पंजीबद्ध किया गया।

जिला आबकारी अधिकारी,झुन्झुनूँ ने उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अनुज्ञाधारी को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिये।

अनुज्ञाधारी ने विस्तृत जवाब जिला आबकारी अधिकारी,झुन्झुनू के समक्ष प्रस्तुत किया। जिला आबकारी अधिकारी,झुन्झुनू ने अधिनियम की धारा 34 एवं नियम 76 के अन्तर्गत जारी देशी मदिरा दुकान ग्राम पंचायत केरू के अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 8.3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए देशी मदिरा दुकान केरू को जारी अनुज्ञापत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया तथा अनुज्ञाधारी द्वारा जमा कराई गई समस्त राशि को जब्त कर लिया । जिला आबकारी अधिकारी,झुन्झुनू के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा आबकारी आयुक्त, राजस्थान,उदयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, उन्होंने अपीलार्थी को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 8.3 का उल्लंघन मानते हुए अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया।

आयुक्त,आबकारी, उदयपुर द्वारा अपीलार्थी की अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने के आदेश दिनांक 03.02.2014 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के समक्ष एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 4482/2014 पेश की गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ द्वारा मत प्रतिपादित किया गया कि आबकारी आयुक्त द्वारा पारित किये गये आदेश कर बोर्ड की खण्डपीठ के समक्ष अधिनियम की धारा 9ए (4) के अन्तर्गत रिवाईजेबल है और वैकल्पिक उपचार (alternative remedy) उपलब्ध होने के कारण पिटीशन चलने योग्य नहीं होने से निर्णय दिनांक 06.10.2014 पारित कर रिट पिटीशन खारिज कर दी। माननीय न्यायालय ने निर्देश दिये कि वह 10 दिन के भीतर अपील कर बोर्ड में समक्ष प्रस्तुत करें और कर बोर्ड लिमिटेशन एक्ट की धारा 14 के अन्तर्गत देरी को क्षम्य करते हुए प्रकरण का निस्तारण 6 माह के भीतर करें।

अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.10.2014 के विरूद्ध डी.बी.स्पेशल अपील (रिट) संख्या 935/2015 माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत की। माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा डी.बी.स्पेशल अपील (रिट) संख्या 935/2015 का निस्तारण दिनांक 27.10.2015 का करते हुए एकलपीठ के निर्णय दिनांक 06.10.2015 में हस्तक्षेप ~~(प्दजमतमितमदबम)~~ करने से इनकार करते हुए उसकी अपील को

अस्वीकार कर दिया । माननीय उच्च न्यायालय की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.10.2014 के आलोक में यह अपील कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि आबकारी निरीक्षक द्वारा उस के विरूद्ध झूँठा मुकदमा बनाया गया है क्योंकि आबकारी निरीक्षक वृत नवलगढ मुझ से रंजिस रखते है। उनका कथन है कि रंजिस के चलते उन्होंने उसके विरूद्ध झूँठा मुकदमा दर्ज किया और आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 के अन्तर्गत अभियोग बनाया है और मारपीट की,जिसके सम्बन्ध में उसके द्वारा एफ.आई.आर.सम्बन्धित थाने में दर्ज कराई गई है। उनका कथन है कि न्यायालय द्वारा उसे दोषी साबित नहीं किया गया और मात्र अधिनियम की धारा 19/54 के अन्तर्गत अभियोग दर्ज होने से उसका अनुज्ञा पत्र निरस्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि न्यायालय उसे दोषी होने का निर्णय नही पारित कर दे, इसलिए जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी आयुक्त के पारित आदेश विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त योग्य हैं।

राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि विधान सभा चुनाव 2013 में राज्य सरकार द्वारा घोषित शुष्क दिवस की पालना में दौरान गश्त मुखबिर से मिली गुप्त सूचना के आधार पर रात्रि में केरू गांव से लाख की ढाणी जाने वाले मोड पर अनुज्ञाधारी हरिसिंह के कब्जे से मोटरसाईकिल रूकवाकर तलाशी लेने पर पीछे बंधे एक प्लास्टिक के कट्टे में 44 पव्वे ढोला मारू देशी मदिरा, 7 पव्वे देशी मदिरा, 4 पव्वे बैंगपाईपर व्हिस्की, 2 पव्वे ए.सी.सेक व्हिस्की, 2 पव्वे मैक्डोवल, 1 रम, 2 ऐरिस्टोकेट जिन, 1 बोतल आफीसर च्वाईश व 12 पव्वे ऑफीसर च्वाईश परिवहन करते हुए स्वयं अनुज्ञाधारी अवैध रूप से शराब का परिवहन करते हुए पकडा गया है,जिससे अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 8.3 व आबकारी अधिनियम की धारा 34 का उल्लंघन होने से अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है,जो पूर्ण रूप से विधिक एवं उचित है। उनका कथन है कि अपीलार्थी द्वारा ए.सी.जे.एम. की अदालत में इस्तगासा पेश कर आबकारी निरीक्षण के विरूद्ध पुलिस थाना नवलगढ में एफ.आई.आर. दर्ज करवायी गयी, पुलिस थाना

नवलगढ द्वारा उक्त प्रकरण की जांच कर अनुज्ञाधारी हरिसंह रायला द्वारा दर्ज करवाई गई एफ.आई.आर. में सम्पूर्ण जांच के बाद धारा 167, 342, 458 व 325 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध गठित होना नहीं पाया गया और उक्त प्रकरण में उसका दोष साबित नहीं हुआ है। उन्होंन उक्त कथन के आधार पर आबकारी आयुक्त के आदेश को उचित बताते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस की गई,उपलब्ध रिकार्ड एवं अधिनियम के प्रावधानों पर मनन किया गया। प्रकरण के तथ्यानुसार आबकारी निरीक्षक वृत नवलगढ द्वारा विधान सभा चुनाव 2013 में राज्य सरकार द्वारा घोषित शुष्क दिवस की पालना में दौरान गश्त मुखबिर से मिली गुप्त सूचना के आधार पर रात्रि में केरू गांव से लाख की ढाणी जाने वाले मोड पर अनुज्ञाधारी हरिसिंह के कब्जे से मोटरसाईकिल टी वी एस स्टार सिटी पंजीयन संख्या आरजे. 18एसए–4498 को रूकवाकर तलाशी लेने पर पीछे बंधे एक प्लास्टिक के कट्टे में 44 पव्वे ढोला मारू देशी मदिरा, 7 पव्वे देशी मदिरा, 4 पव्वे बैंगपाईपर व्हिस्की, 2 पव्वे ए.सी.सेक व्हिस्की, 2 पव्वे मैक्डोवल, 1 रम, 2 ऐरिस्टोकेट जिन, 1 बोतल आफीसर च्वाईश व 12 पव्वे ऑफीसर च्वाईश परिवहन करते हुए पकडा गया।

अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 6.1.2 में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि ''वर्तमान में नियत 5शुष्क दिवस (यथा गणतंत्र दिवस,महात्मा गांधी पुण्य तिथि 30जनवरी,महवीर जयन्ती, स्वाधीनता दिवस एवं गांधी जयन्ती नियत हैं) को शुष्क दिवस रहेगा एवं भविष्य में राज्य सरकार/आबकारी आयुक्त द्वारा नियत किये जाने वाले शुष्क दिवसों पर दुकानें बंद रहेगी। शुष्क दिवसों की सूचना अनुज्ञाधारी सम्बन्धित आबकारी निरीक्षक से प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त दुकान को बंद रखने व बिक्री समय पर जो नियंत्रण समय समय पर लगाये जावेंगे उनका पालन भी अनुज्ञाधारी का करना होगा और इसके लिए उसे न तो कोई क्षतिपूर्ति की जायेगी और न उसके द्वारा देय राशि में ही कोई कमी की जायगी। यदि अनुज्ञाधारी की दुकानें कानून व्यवस्था सम्बन्धी कारणों से बन्द रहती है तो वे भी देय राशि में किसी प्रकार की छूट

नही दी जायेगी। शुष्क दिवसों की पठनीय सूचना दुकान के काउण्टर के पास लगानी होगी।

विधान सभा चुनाव 2013 में राज्य सरकार द्वारा घोषित शुष्क दिवस की पालना नहीं करने के कारण उक्त शर्त का स्पष्ट रूप से उल्लंघन अनुज्ञाधारी द्वारा किया गया है, जो दण्डनीय है।

शर्त संख्या 6.6 के अनुसार अनुज्ञाधारी को अनुज्ञापत्र की अवधि तक दुकान नियमित रूप से संचालित रखनी होगी ओर हर समय स्टॉक में देशी मदिरा की इतनी मात्रा रखनी होगी,जो 15 दिन की बिक्री के लिए पर्याप्त हो। मदिरा का सारा स्टॉक उसी दुकान या स्वीकृत खुदरा गोदाम पर रखना होगा और उसी दुकान पर बेचना होगा,जिसके लिए उसे अनुज्ञापत्र दिया गया है।

उक्त शर्त से स्पष्ट है कि अनुज्ञाधारी को मदिरा का विक्रय उसी दुकान पर करना होगा, जिसके उसे अनुज्ञापत्र जारी किया गया है। शुष्क दिवस पर मोटरसाईकिल पर मदिरा का परिवहन किये जाने से उक्त शर्त का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है।

उक्त प्रकार से मदिरा पाये जाने पर आबकारी निरीक्षक द्वारा मौके पर तैयार की गई फर्द बरामदगी व नक्शा मौका बनाया गया है,जिस पर स्वयं अनुज्ञाधारी व रूबरू मोतबिरानों के हस्ताक्षर हैं,जो पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसके कारण अधिनियम की धारा 34 के प्रावधानों उल्लंधन होने से अभियोग बनाया है । आबकारी आयुक्त द्वारा अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 8.3 का उल्लंघन होने के कारण अपीलार्थी की अपील मय स्थगन अस्वीकार की गई है, जो निम्न प्रकार है :–

"अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 8.3–अनुज्ञापत्र की अवधि के दौरान अनुज्ञाधारी के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 नारकोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट,1985 अथवा आबकारी अधिनियम,1950 की धारा 34 में उल्लेखित अधिनियम तथा उसमें उल्लेखित धाराओं के अन्तर्गत अभियोग दर्ज होने या उनके सजायाफ्ता होने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा।"

प्रकरण के तथ्यों के समग्र रूप से विवेचना के पश्चात यह स्पष्ट उजागर होता है कि राज्य सरकार द्वारा घोषित शुष्क दिवस पर अनुज्ञाधारी हरिसिंह के कब्जे से मोटरसाईकिल रूकवाकर तलाशी लेने पर पीछे बंधे एक प्लास्टिक के कट्टे में 44 पव्वे ढोला मारू देशी मदिरा, 7 पव्वे देशी मदिरा, 4 पव्वे बैंगपाईपर व्हिस्की, 2 पव्वे ए.सी.सेक व्हिस्की, 2 पव्वे मैक्डोवल, 1 रम, 2 ऐरिस्टोकेट जिन, 1 बोतल आफीसर च्वाईश व 12 पव्वे ऑफीसर च्वाईश परिवहन करते हुए स्वयं अनुज्ञाधारी अवैध रूप से शराब का परिवहन करते पकडे जाने से अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 6.1.2, 6.5 व 8.3 का उल्लंघन रूप से किया जाना प्रमाणित है,जिससे अनुज्ञापत्र की शर्तो व आबकारी अधिनियम की धारा 34 का उल्लघन होने से अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है ।

अपीलार्थी द्वारा अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 8.3 का उल्लंघन किया गया है इसलिए जिला आबकारी अधिकारी द्वारा उसके अनुज्ञापत्र को निरस्त किया है,जिसकी पुष्टि आबकारी आयुक्त,राजस्थान उदयपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 03.02.2014 द्वारा की गई है,जिसमें यह पीठ हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नही समझती है। फलतः आबकारी आयुक्त के आदेश की पुष्टि की जाती है।

जहां तक ए.सी.जे.एम. की अदालत में इस्तगासा पेश कर आबकारी निरीक्षण के विरूद्ध पुलिस थाना नवलगढ में एफ.आई.आर. दर्ज करवाने का प्रश्न है,इस बिन्दु पर सम्पूर्ण जांच के बाद आबकारी निरीक्षक के विरूद्ध धारा 167, 342, 458 व 235 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध गठित होना नहीं पाया गया है,इसलिए अपीलार्थी के इस तर्क में बल नहीं है कि अनुज्ञाधारी के विरूद्ध झूठा अभियोग बनाया गया है।

प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष